रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251604
CG-DL-E-25012024-251604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मपूर्ण) नियम, 1993 के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संव्यवहार और चर्मपूर्ण) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "मुख्य वन्य जीव संरक्षक" में ऐसा कोई अधिकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ;

(घ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "विनिर्दिष्ट जीवजंतु" से अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई जीवजन्तु अभिप्रेत है और जो पकड गया या रखा गया या बन्दी स्थिति में पालित हो, या प्रकृति में वन्य पाया गया हो ।

3. विनिर्दिष्ट जीवजंतु आदि को अर्जन करना, प्राप्त करना, नियंत्रण अभिरक्षण या कब्जे में रखना या चर्मपूर्ण की प्रक्रिया में डालने या जीवनन्तु वस्तुएं बनाना आदि:-- (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, —

(i) किसी विनिर्दिष्ट जीवजंतु या किसी जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या उनसे व्युत्पन्न मास को अर्जित नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में नहीं रखेगा, अथवा

(ii) चर्मपूर्ण की प्रक्रिया में नहीं डालेगा या जीवजन्तु वस्तु, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ या समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, नहीं बनाएगा ।

(2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य वन्य जीव संरक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्त की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसी अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान न हो जाए कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी असंसाधित ट्राफी या मांस वैद्य रूप से अर्जित किया गया है ।

(4) यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक अनुज्ञा देने से इन्कार कर देता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति भेजी जाएगी ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप-2 में होगी ।

4. **स्टाक की रिपोर्ट प्रस्तु करना**.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जिसको नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई हो, अधिकारी को, जिसने उक्त अनुज्ञा अनुदत्त की थी, नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस के स्टाक के बारे में उनके अर्जन करने, प्राप्त करने या अपने नियंत्रण अभिरक्षण या कब्जे में रखने की सात दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) मुख्य वन्य जीव संरक्षक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे स्टाक पर सनाख्त चिन्ह लगाने की व्यवस्था कर सकेगा ।

5. **विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि का विक्रय**.—(1) कोई अनुज्ञात व्यौहारी कोई विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या कोई जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या उनसे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी, उस व्यक्ति के सिवाय जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक की अनुज्ञा द्वारा क्रय करने के लिए प्राधिकृत हो, और जहां विक्रय कर दिया गया हो वहां क्रेता उस अनुज्ञा को अनुज्ञप्त व्यवहारी की अभ्यर्पित कर देगा ।

(2) क्रय की अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप-4 में किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्त पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्त के दस दिन की अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा ।

(4) यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक अनुज्ञा देने से इन्कार कर देता है तो वह ऐसे करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति प्रदान या नामंजूर कर सकेगा ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप-5 में होगी ।

(6) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा उसके जारी करने की तारीख से एक मास की अवधि तक विधिमान्य होगी ।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यौहारी प्रत्येक विक्रय के समय, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के बारे में क्रय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को एक वाउचर जारी करेगा ।

(8) प्रत्येक वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:--

क. वाउचर के जारी करने की तारीख ;

ख. वसूल की गई या की जाने वाली कीमत की रकम ;

ग. वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त व्ययौहारी का नाम और पता :

घ. जिस व्यक्ति की वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता :

ङ. क्रय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की अनुज्ञा संख्या :

च. विनिर्दिष्ट जीवजंतु/जीवजंतु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी का विवरण और संख्या :

छ. क्या ऐसे विनिर्दिष्ट जीवजंतु/जीवजंतु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था, और यदि हों तो, क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए है :

ज. वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त व्यौहारी के हस्ताक्षर ।

झ. जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर :

6. **चर्मपूर्ण या जीवजंतु वस्तु बनाना**.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्त चर्मपूर्ण-कर्ता या अनुज्ञप्त विनिर्माता ट्राफियां या जीवजंतु वस्तु लौटाते समय उक्त ट्राफी और जीवजंतु वस्तु के स्वामी को एक वाउचर जारी करेगा ।

(2) हर वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :--

क. वाउचर के जारी करने की तारीख :

ख. वसूल किए गए या किए जाने वाले खर्चे :

ग. वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त चर्मपूरण-कर्ता/विनिर्माता का नाम और पता :

घ. जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता :

ङ. ट्राफी/जीवजन्तु वस्तु का विवरण और संख्या :

च. क्या संसाधित ट्राफी/ट्राफी/जीवजंतु/जीवजंतु वस्तु की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 40 या धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था, और यदि हों तो, क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए हैं :

छ. वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त चर्मपूरण-कर्ता/विनिर्माता :

7. **वाउचरों का रखा जाना**.—(1) नियम 5 या नियम 6 में विनिर्दिष्ट वाउचर तीन प्रतियों में और क्रमांकित होगा।

(2) वाउउचर की दूसरी और तीसरी प्रति अनुज्ञप्त व्यवहारी, चर्मपूरण-कर्ता या विनिर्माता द्वारा रख जी जाएगी और वाउचर की मूल प्रति नियम 5 के उपनियम (7) या नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी ।

(3) प्रयोग में लाने से पूर्व कोरे वाउचर वाली प्रतयेक पुस्तिका मुख्य वन्य जीव संरक्षक को, उसके हस्ताक्षर या मुहर लगाने के लिए, प्ररूतुत की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यवहारी, चर्मपूर्ण-कर्ता या विनिर्माता अपने द्वारा रखे गए वाउचरों की दूसरी प्रतियां मासिक छुटी में, प्रत्येक मास के 7वें दिन के पश्चात् मुख्य वन्य जीव संरक्षक को भेजेगा ।

(5) विक्रय के समय अनुज्ञप्त व्यवहारी को अभ्यर्पित की गई प्रतयेक प्रत्येक अनुज्ञा भी पूर्वोक्त दूसरी प्रतियों के साथ संलग्न की जाएगी ।

8. **विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि का परिवहन**.—(1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी मुख्य वन्य जीव संरक्षक की पूर्वतन अनुज्ञा के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट जीवजन्तु, जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी को राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को परिहवन नहीं करेगा ।

(2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 6 में किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य वन्य जीव संरक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन प्राप्ति के सात दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान न हो जाए कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु ट्राफी या असंसाधित ट्राफी वैधरूप से अर्जित की गई है ।

(4) यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक अनुज्ञा देने से इन्कार करता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कारणों की एक प्रति अनुज्ञा के लिए आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को भेजी जाएगी ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्रारूप-7 में होगी ।

9. **अपील**.—(1) नियम 3 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (3) या नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाले मुख्य वन्य जीव संरक्षक या अन्य किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकता है:-

(2) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक, जिस आदेश के विरूद्ध की गई है, उस आवेदक को संसूचित करने की तारीख से 15 दिन के भीतर वह न की गई हो:

परन्तु राज्य सरकार उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तब कोई अील ग्रहण कर सकता है जब उसका समाधान हो जाए कि अपील को समय पर तैयार न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक था ।

प्ररूप 1

[नियम 3(2) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणी, प्राणी सामग्री आदि का अर्जन, प्राप्त करने, रखने या चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करने या प्राणी सामग्री बनाने की अनुमति के लिए आवेदन

सेवा में,

महोदय,

मैं,.....,निवासी तालुक जिला..... वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्याधारण करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे विनिर्दिष्ट प्राणी/ प्राणी सामग्री ट्रॉफी/अनुपचारित ट्रॉफी/विनिर्दिष्ट प्राणी के मांस को अर्जन/प्राप्त करने/नियंत्रण/अभिरक्षा/कब्जे में रखने और या चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करने/ऐसे प्राणी का हिस्सा/सम्पूर्ण प्राणी अंतर्विष्ट करने वाली प्राणी सामग्री बनाने की अनुज्ञा अनुदत्त की जा सकती है ।

2. मैं, ऐसे विनिर्दिष्ट प्राणी/प्राणी सामग्री ट्रॉफी/अनुपचारित ट्रॉफी/मांस के संबंध में, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं :-

1. प्राणियों की प्रजाति।
2. संख्या।
3. विवरण (यदि संभव हो तो लिंग सहित)।
4. स्रोत जिससे प्राप्त किया जा सकता है,-
 (i) पता और अनुज्ञप्ति संख्या, यदि कोई हो।
 (ii) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 40, धारा 43, या धारा 44 के अधीन घोषणा की गई/अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है और यदि हां, तो विवरण :
5. स्वामित्व प्रमाण पत्र का विवरण।
6. पहचान चिह्न, यदि कोई हो।
7. ऐसा परिसर जिसमें रखा जाना आशयित है ।
8. उद्देश्य, जिसके लिए अर्जित/प्राप्त/नियंत्रित/अभिरक्षा/कब्जे में रखा जाना है।
9. यदि चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करना है या प्राणी सामग्री बनाना है तो –
 क. बनायी जाने वाली ट्रोफियों/ सामग्रियों की संख्या ।
 ख. ऐसी ट्रॉफियों/ सामग्रियों का वर्णन ।
 ग. वे किसे वापस कर दिए जाएंगे ।
 घ. संभावित तारीख जिसके भीतर उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

3. मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार यहां दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो, उसे काट दें।

IndiaCode

प्ररूप 2

[नियम 5(5) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणी, या प्राणी सामग्री आदि का अर्जन, प्राप्त करने, नियंत्रण में रखने, अभिरक्षा में रखने या कब्जे में रखने या चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करने या प्राणी सामग्री बनाने की अनुज्ञा

श्री,, को ,जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्याधारण करते हैं ,निम्नलिखित वर्णन के विनिर्दिष्ट प्राणी/ प्राणी सामग्री/ ट्रॉफी / अनुपचारित ट्रॉफी / विनिर्दिष्ट प्राणीके मांस को अर्जन, प्राप्त करने, नियंत्रण / अभिरक्षा / कब्जे में रखने या चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करने/ ऐसे प्राणी का हिस्सा या सम्पूर्ण प्राणी अंतर्विष्ट करने वाली प्राणी सामग्री बनाने की अनुज्ञा दी जाती है :

1. प्राणियों की प्रजाति।
2. विवरण (लिंग सहित, यदि आवेदन में दिया गया है)।
3. संख्या।
4. स्रोत जिससे प्राप्त किया जा सकता है।
5. उस स्रोत का अनुज्ञप्ति/अनुमति संख्या जिससे प्राप्त किया जाना है।
6. स्वामित्व प्रमाण पत्र का विवरण।
7. पहचान चिह्न, यदि कोई हो।
8. ऐसा परिसर जिसमें रखा जाना आशयित है ।
9. ऐसा प्रयोजन जिसके लिए अर्जन/प्राप्त/नियंत्रण/अभिरक्षा/कब्जे में रखा जाना हो ।
10. यदि चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया के अधीन करना या प्राणी सामग्री बनाना अनुज्ञात है तो –
 - क. बनायी जाने वाली ट्रॉफियों/सामग्रियों की संख्या ।
 - ख. ऐसी ट्रॉफियों/सामग्रियों का वर्णन ।
 - ग. वे किसे वापस कर दिए जाएंगे ।
 - घ. संभावित तारीख जिसके भीतर उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

तारीख..... को मेरे द्वारा जारी किया गया

हस्ताक्षर :

पदनाम :

मुद्रा :

स्थान :

तारीख:

जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 3

[नियम 4(1) देखें]

स्टॉक की रिपोर्ट

सेवा में,

1. अनुज्ञप्तिधारक का पूरा नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या ।
2. रिपोर्ट की तारीख पर रखा गया विनिर्दिष्ट प्राणियों का स्टॉक।
 (क) प्रजाति और लिंग ।

IndiaCode

(ख) संख्या।

(ग) वयस्क या किशोर।

(घ) परिसर जहां रखा गया है।

3. रिपोर्ट की तारीख पर रखा गया प्राणी सामग्रियों का स्टॉक।

(क) विवरण, जिसमें प्राणियों की प्रजातियां शामिल हैं जिनसे व्युत्पन्न किया गया है।

(ख) संख्या।

(ग) आयाम या वजन।

(घ) परिसर जहां रखा गया है।

4. रिपोर्ट की तारीख पर रखा गया ट्राफियों का स्टॉक।

(क) विवरण, जिसमें प्राणियों की प्रजातियां शामिल हैं जिनसे व्युत्पन्न किया गया है।

(ख) संख्या।

(ग) आयाम या वजन।

(घ) परिसर जहां रखा गया है।

5. रिपोर्ट की तारीख पर रखा गया अनुपचारित ट्राफियों का स्टॉक।

(क) विवरण, जिसमें प्राणियों की प्रजातियां शामिल हैं जिनसे व्युत्पन्न किया गया है।

(ख) संख्या।

(ग) आयाम या वजन।

(घ) परिसर जहां रखा गया है।

6. टिप्पणियाँ, यदि कोई हों।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

स्थान :

तारीख:

जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 4

[नियम 5(2) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणियों आदि का क्रय करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन

सेवा में

महोदय,

मैं/हम,, निवासी तालुक जिला..... अनुरोध करता हूं कि मुझे/हमें विनिर्दिष्ट प्राणी/ प्राणी सामग्री/ट्रॉफी/निम्नलिखित वर्णन के विनिर्दिष्ट प्राणी से व्युत्पन्न अनुपचारित ट्रॉफी को अनुज्ञप्तिधारी से क्रय करने की अनुज्ञा अनुदत्त की जाए : -

IndiaCode

1. निम्नलिखित की संख्या और वर्णन –

(क) विनिर्दिष्ट प्राणी,

(ख) प्राणी सामग्री,

(ग) ट्रॉफी,

(घ) अनुपचारित ट्रॉफी

2. प्रयोजन जिसके लिए क्रय किया जाना है ।

3. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार यहाँ दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 5

[नियम 5(5) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणियों आदि का क्रय करने के लिए अनुज्ञा

श्री,, को , विनिर्दिष्ट प्राणी/ प्राणी सामग्री/ट्रॉफी/ निम्नलिखित वर्णन के विनिर्दिष्ट प्राणी से व्युत्पन्न अनुपचारित ट्रॉफी को से.....के प्रयोजन के लिए क्रय करने की अनुज्ञा दी जाती है :

निम्नलिखित की संख्या और वर्णन –

(क) विनिर्दिष्ट प्राणी

(ख) प्राणी सामग्री,

(ग) ट्रॉफी

(घ) अनुपचारित ट्रॉफी

तारीख..... को मेरे द्वारा जारी किया गया

हस्ताक्षर :

पदनाम :

मुद्रा :
स्थान :
तारीख:

टिप्पण : यह अनुज्ञा जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि तक वैध होगी।

जो लागू न हो, उसे काट दें।

IndiaCode

प्ररूप 6

[नियम 8 (2) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणियों आदि का परिवहन करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन

सेवा में

महोदय,

मैं,, निवासी तालुक जिला..... वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्याधारण करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे निम्नलिखित का परिवहन करने के लिए अनुज्ञा अनुदत्त की जाए : -

(1) विनिर्दिष्ट प्राणी की प्रजाति या जिससे प्राणी सामग्री/ उपचरित ट्रॉफी / अनुपचारित ट्रॉफी व्युत्पन्न है ।

(2) संख्या।

(3) विवरण (यदि संभव हो तो लिंग सहित)।

(4) पहचान चिह्न, यदि कोई हो।

(5) उपापन का स्रोत और अनुज्ञप्ति /अनुज्ञा संख्या।

(6) स्वामित्व का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

(7) परिवहन का तरीका।

(8) मार्ग

(9) परिवहन के लिए अपेक्षित अवधि।

(10) गंतव्य

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख:

जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 7

[नियम 8 (5) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राणियों आदि का परिवहन करने के लिए अनुज्ञा

श्री,, को ,जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्याधारण करते हैं, नीचे विहित रीति में.....से.....तक विनिर्दिष्ट प्राणी/ प्राणी सामग्री/ उपचारित ट्रॉफी / विनिर्दिष्ट प्राणी से व्युत्पन्न अनुपचारित ट्रॉफी परिवहन करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है

परिवहन का तरीका ।

IndiaCode

(i) मार्ग ।

(ii) परिवहन हेतु अनुज्ञात अवधि ।

(iii) टिप्पणी ।

तारीख..... को मेरे द्वारा जारी किया गया

हस्ताक्षर :

पदनाम :

मुद्रा :
स्थान :
तारीख:

जो लागू न हो, उसे काट दें।

[फा. सं. डब्ल्यूएल-1/26/2023-डब्ल्यू एल]
बिभाष रंजन,अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और निदेशक, वन्य जीवन संरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi the 16th January, 2024

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)and in supersession of the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**.– In these rules unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) “Chief Wild Life Warden” includes any other officer which the State Government may, for the purposes of these rules, by notification in the Official Gazette, appoint;

(d) "Licensee" means a licensee under Chapter V of the Act;

(e) "specified animal" means any animal which is specified in Schedule I to the Act and which is – captured or kept or bred in captivity, or found wild in nature.

3. Acquiring, receiving or keeping specified animal, in control, custody or possession or put under process of taxidermy or make article, etc.– (1) No licensee shall —

(i) acquire, receive, keep in his control, custody or possession any specified animal or any animal article, trophy, uncured trophy or meat derived therefrom; or

(ii) put under a process of taxidermy or make animal article containing part or whole of such animal, except with the previous permission of the authorised officer.

(2) Every application for such permission shall be made in Form I.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Chief Wild Life Warden, may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of fifteen days from the date of receipt of the application, either grant or refuse the permission;

Provided that no such permission shall be granted unless the Chief Wild Life Warden is satisfied that the specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Chief Wild Life Warden refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form II.

4. Submission of report of stocks.– (1) Every licensee to whom permission has been granted under sub-rule (3) of rule 3 shall submit, to the Chief Wild Life Warden who had granted the said permission, report regarding the stocks of specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1) of rule 3, in Form III within a period of seven days of the acquisition, receipt or keeping of the same in his control, custody or possession.

(2) The Chief Wild Life Warden, after receiving such report may arrange to affix identification marks on such stocks.

5. Sale of specified animal, etc.– (1) No licensed dealer shall sell or offer for sale any specified animal or any animal article, trophy or uncured trophy derived therefrom, except to a person authorised to purchase by a permission granted by the Chief Wild Life Warden and where the sale is effected, the purchaser shall surrender the permission to the licensed dealer.

(2) Every application for permission to purchase shall be made in Form IV.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of ten days form the date of receipt of the application, either grant or refuse the permission.

(4) Where the Chief Wild Life Warden refuses to grant the permission, he shall record the reason for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the person applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form V.

(6) Every permission granted under sub-rule (3) shall be valid up to a period one month form the date of issue of the same.

(7) Every licensed dealer, at the time of each sale, issue a voucher in relation to the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy, referred to in sub-rule (I), to the person authorised to purchase.

(8) Each voucher shall contain the following particulars, namely:—

a. date of issue of voucher;

b. the amount of price realised or to be realised;

c. name and address of the licensed dealer issuing the voucher;

d. name and address of the person to whom the voucher is issued;

e. permission number of the person authorised to purchase;

f. description of the specified animal or animal article or trophy or uncured trophy derived therefrom and number;

g. whether such specified animal/animal article or trophy or uncured trophy was required to be declared under section 44 of the Wild Life (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and if so, whether it has been declared;

h. signature of the licensed dealer issuing the voucher;

i. signature of the person to whom the voucher is issued.

6. Taxidermy or making animal article.– (1) Every licensed taxidermist or licensed manufacturer shall, at the time of returning the trophy or animal article, issue a voucher to the owner of the said trophy or animal article.

(2) Each voucher shall contain the following particular, namely: —

a. date of issue of voucher;

b. charges realised or to be realised;

c. name and address of the licensed taxidermist or manufacturer issuing the voucher;

d. name and address of the person to whom the voucher is issued;

e. description of the trophy or animal article and number;

f. whether uncured trophy or trophy animal article was required to be declared under section 40, or section 44, of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and if so, whether it has been declared;

g. signature of the licensed taxidermist or manufacturer issuing the voucher.

7. Maintenance of voucher . —(1) The voucher referred to in rules 5 or 6 shall be in triplicate and serially numbered.

(2) The duplicate and the triplicate copy of the voucher shall be retained by the licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer and the original copy of the voucher shall be given to the person referred to in sub-rule (7) of rule 5 or sub-rule (1) of rule 6.

(3) Every book containing blank voucher shall be presented to the Chief Wild Life Warden for affixing his initials or stamps on such book before it is brought into use.

(4) Every licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer shall send, in monthly batches not later than the seventh day of every month, the duplicate copies or vouchers retained by him, to the Chief Wild Life Warden.

(5) Every permission surrendered to a licensed dealer at the time of sale shall also be enclosed along with the duplicate copies aforesaid.

8. Transport of specified animal, etc.– (1) No licensee shall transport from one place to another within the Sate any specified animal, animal article, trophy or uncured trophy derived therefrom, except with the previous permission of the Chief Wild Life Warden.

(2) Every application for such permission shall be made in Form VI.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Chief Wild Life Warden may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of seven days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permissions;

Provided that no such permission shall be granted unless the Chief Wild Life Warden is satisfied that the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy, referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Chief Wild Life Warden refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form VII.

9. Appeal. —(1) Any person aggrieved by an order made by the Chief Wild Life Warden granting the permission under sub-rule (3) of 3, sub-rule (3) of rule 5 or sub-rule (3) of rule 8, may prefer an appeal to the State Government.

(2) No appeal shall be entertained unless it is preferred within fifteen days from the date of the communication to the applicant of the order appealed against:

Provided that the State Government may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preparing the appeal in time.

IndiaCode

FORM I

[See rule 3(2)]

Application for permission to acquire, receive, keep specified animal, animal article etc. or put under process of taxidermy or make animal article.

To,

The

Sir,

I, ……..., residing at……..... Taluk District..... and holding licence No. granted under sub-section (4) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), request that I may be granted permission to acquire/receive/keep in my control/custody/possession specified animal/animal article trophy/uncured trophy/meat derived from specified animal and or put under process of taxidermy/make animal article containing part/whole of such animal.

2. I furnish below the particulars in relation to such specified animal/animal article trophy/uncured trophy meat: —

1. Species of animal.
2. Number.
3. Description (including sex, if possible).
4. Source from which to be obtained, -
 (i) Address and Licence Number, if any.
 (ii) Whether declaration made/permission/licence obtained under sections 40, 43, or 44, of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and if so the particulars:
5. Particulars of certificate of ownership.
6. Identification mark, if any.
7. Premises in which intended to be kept.
8. Purpose for which to be acquired/received/kept in control/custody/possession.
9. If to be put under process of taxidermy or to make animal articles –
 a. Number of the trophies/articles to be made.
 b. Description of such trophies/articles.
 c. To whom they will be returned.
 d. Probable date within which they will be so returned.

3. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant

Strike out whichever is not applicable.

FORM II

[See rule 5(5)]

Permission to acquire, receive, keep in control, custody or possession specified animal or animal article etc. or put under process of taxidermy or make animal article.

Shri, holding licence No. granted under sub-section (4) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), is hereby permitted to acquire, to

keep under his control/custody/possessing specified animal/animal article/trophy/uncured trophy/meat derived from specified animal, of the following description, or put under process of taxidermy or make animal article containing part or whole of such animal:

1. Species of animal.
2. Description (including sex, if given in the application).
3. Number.
4. Source from which to be obtained.
5. Licence/Permission Number of the source from which to be obtained.
6. Particulars of certificate of ownership.
7. Identification mark, if any.
8. Premises in which to be kept.
9. Purpose for which to be acquire/receive/kept in control/custody/possession.
10. If permitted to put under process of taxidermy or to make animal article, –
 a. Number of the trophies or articles to be made.
 b. Description of such trophies or articles.
 c. To whom they should be returned.
 d. Probable date within which they would be returned.

Issued by me this day of

Signature of:

Designation :

Seal:
Place:
Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM III

[See rule 4(1)]

Report of stocks

To,

The

1. Full name, address and licence number of the licensee.
2. Stock held on the date of report in specified animals.
 (a) Species and sex.
 (b) Number.
 (c) Adult or Juvenile.
 (d) Premises where kept.
3. Stock held on the date of report in animal articles.
 (a) Description, including species of animal from which derived.
 (b) Number.
 (c) Dimension or weight.

IndiaCode

(d) Premises where kept.

4. Stock held on the date of report in trophies.

(a) Description, including species of animal from which derived.
(b) Number.
(c) Dimension or weight.
(d) Premises where kept.

5. Stock held on the date of report in uncured trophies.

(a) Description, including species of animal from derived.
(b) Number.
(c) Dimension or weight.
(d) Premises where kept.

6. Remarks, if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM IV

[See rule 5(2)]

Application for permission to purchase specified animal etc.

IndiaCode

To

The

Sir,

I/We residing at Taluk District request that I/We may be granted permission to purchase specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived from specified animal of the following description, from a licensee: -

1. Number and description of –

(a) specified animal,
(b) animal article,
(c) trophy,
(d) uncured trophy

2. Purpose for which the purchase is to be made.

3. I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature(s) of the applicant(s)

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM V

[See rule 5(5)]

Permission to purchase specified animal, etc.

Shri of is/are hereby permitted to purchase specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived from specified animal of the following description from for the purpose of

Number and description of –

(a) specified animal,
(b) animal article,
(c) trophy,
(d) uncured trophy.

Issued by me this day of

Signature
Designation

Seal:

Place:

Date:

Note: This permission shall be valid upto a period of one month from the date of issue.

Strike out whichever is not applicable.

IndiaCode

FORM VI

[See rule 8 (2)]

Application for permission to transport specified animal, etc.

To

The

Sir,

I …….....residing at Taluk District, and holding Licence No. granted under sub-section (4) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) request that I may be granted permission to transport the following: -

(1) Species of specified animal or from which the animal article/cured trophy/uncured trophy is derived.

(2) Number.

(3) Description (including sex, if possible).

(4) Identification mark, if any.

(5) Source of procurement and the Licence/Permission Number.

(6) Certificate of ownership, it any.

(7) Mode of Transport.

(8) Route

(9) Period required for transport.

(10) Destination.

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant.

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM VII

[See rule 8 (5)]

Permission to transport specified animal, etc.

Shri holding licence No., granted under sub-section (4) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) is hereby permitted to transport in the manner prescribed below specified animal/animal article/cured trophy/uncured trophy derived from specified animal, from

to.....

(i) Mode of transport.

(ii) Route.

(iii) Period allowed for transport.

(iv) Remarks.

Issued by me this day of

Signature

Designation

Seal:

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

[F. No. WL-1/26/2023-WL]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (Wildlife) and Director, Wild Life Preservation

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA